

# न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

सु.नं. २२/१८

निर्णय दिनांक २५/११/२०१८

उनवान:- हाका वकालत करी

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का ६ लें कावाड ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर ५५८ रकबा ५-१० बीघा किस्म कावनी कावाड

बारे ग्राम काडगुल पर श्रीमती महादेवी पुत्र लाखण

जाति कोड निवासी काडगुल तहसील कावनी

ने सम्बर २०२५ रवी/खरीफ में फसल कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि १९५६ की

धारा ९१ एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी श्रीमती महादेवी पुत्र लाखण

जाति कोड निवासी काडगुल को आ. ख. नं. ५५८

रकबा ५-१० बीघा वारे ग्राम काडगुल से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का ५० गुना शास्ती राशि १०१३/५५८ (अक्षरे

रूपेय एव हाउटेरद रुकने मात्र) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। TRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली

पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक २५/११/२०१८ को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

1013-6  
 नाम राशि का अंक  
 रजि. के पद कांक  
 की कां संयां पर किया गया है।  
 दिनांक २५/११/१८  
 तहसीलदार

तहसीलदार  
 तहसील बाड़ा (धालपुर) राज.